

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0, जयपुर

क्रमांक- एफ.4(ई) (1/6)/अलेसे-III/

दिनांक :-07.12.2011

आदेश संख्या- 200 /2011-12

वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.2(5)वित्त/राजस्व/11 दिनांक 7.12.2011 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में श्री गोकुल चन्द्र बामडिया, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर का स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्यालय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार गर्ग जांच आयोग, जयपुर में कनिष्ठ लेखाकार के नवसृजित रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

निदेशक

क्रमांक- एफ.4(ई) (1/6)/अलेसे-III/ 9419-9424

दिनांक :-07.12.2011

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.2(5)वित्त/राजस्व/11 दिनांक 7.12.2011 के संदर्भ में
2. सचिव न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार गर्ग जांच आयोग, जयपुर।
3. प्रचार्य सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री बामडिया कनिष्ठ लेखाकार को अपने नवपदस्थान कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु दिनांक 09.12.2011 को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करने का श्रम करे।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय/शहर जयपुर।
5. श्री गोकुल चन्द्र बामडिया, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि दिनांक 09.12.2011 को कार्यमुक्त होकर अपने नवपदस्थान कार्यालय में दिनांक 09.12.2011 को ही कार्य ग्रहण कर इस विभाग को सूचित करे।
6. निजी सहायक, निदेशक कोष एवं लेखा।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पंजिका।
8. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट हेतु)।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक-II)